पत्रांक–3/एल–09/2016– 498(3)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

डा० मो० शफी अहमद
जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, बाँका ।

पटना, दिनांक 24/08/2016

विषय : दिनांक–01.09.16 से 20.10.16 तक हज यात्रा (सउदी अरब) जाने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आपका आवेदन दिनांक–8.02.2016 के प्रसंग में नियमानुसार निम्नांकित शर्त्तों के साथ दिनांक–01.09.16 से 20.10.16 तक हज यात्रा (सउदी अरब) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. अवकाश अवधि का विस्तार नहीं करेंगे ।
2. प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
3. यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
5. प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं करेगें ।
6. प्रवास से लौटने पर पुनः यथावत अपना योगदान करेगें।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/एल–09/2016– 498(3)

पटना, दिनांक 24/8 / 2016

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारर्हवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : डा० मो० शफी अहमद जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, बाँका पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वास्थ्य के नीजी सहायक/ संयुक्त सचिव के निजी सहायक/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,9 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग , पटना को को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/8/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

D>2016>Letter(L) 2016